

+ गुड़ 0.5 प्रतिशत मिश्रण का शाम के समय छिड़काव करें। ● बेसिलस थूरेंजियन्सीस 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर + टिनोपाल 0.1 प्रतिशत + गुड़ 0.5 प्रतिशत का छिड़काव करें।

जैव-पौध पदार्थों के छिड़काव द्वारा - ● निंबोली सत 5 प्रतिशत का छिड़काव करें। ● नीम तेल या करंज तेल 10-15 मि.ली.+1 मि.ली. चिपचिपा पदार्थ (जैसे सेन्डोविट, टिपाल) प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ● निम्बेसिडिन 0.2 प्रतिशत या अचूक 0.5 प्रतिशत का छिड़काव करें।

रोग नियंत्रण - (अ) तना विगलन बीज को रोडोमिल 3 ग्रा./कि.ग्रा. बीज से उपचारित करने बोरें। रोगरोधी प्रजातियां जैसे आशा, मारुति बी.एस.एम.आर.-175 तथा बी.एस.एम.आर.-736 का चयन करना चाहिए।

(ब) उकठा रोग - यह फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारणतया फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं। सितंबर से जनवरी महीनों के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़ कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए रोगरोधी जातियां जैसे जे.के.एम.-189, सी.-11, जे.के.एम.-7, बी.एस.एम.आर.-853, बी.एस.एम.आर. 736, आशा आदि बोरें। उन्नत जातियों को बीज बीजोपचार करके ही बोरें। गर्मी में गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतरवर्तीय फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है।

(स) बन्धता मोजेक रोग - यह रोग विषाणु (वायरस) से होता है। इसके लक्षण ग्रसित पौधों के ऊपरी शाखाओं में पत्तियां छोटी, हल्के रंग की तथा अधिक लगती हैं और फूल-फली नहीं लगती हैं। यह रोग माईट, कीट के द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम हेतु रोग रोधी किस्मों को लगाना चाहिए। खेत में बेमौसम रोगग्रसित अरहर के पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। माईट कीट का नियंत्रण करना चाहिए। बांझपन विषाणु रोग रोधी जातियां जैसे आई.सी.पी.एल. 87119 (आशा), बी.एस.एम.आर.-853, 736, राजीव लोचन, बी.डी.एन. 708, को लगाना चाहिए।

माईट कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफाल 18.5 ई. सी. (2 मि.ली./ली.) या डायमिथिएट 30 ई. सी. (1.7 मि.ली./ली.) या मिथाइल डिमेटान 25 ई. सी. (2 मि.ली./ली.) पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

(द) फायटोथोरा झुलसा रोग - रोग ग्रसित पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें तने पर जमीन के ऊपर गठान नुमा असीमित वृद्धि दिखाई देती है व पौधा हवा आदि चलने पर यहीं से टूट जाता है। इसकी रोकथाम हेतु 3 ग्राम मेटालेक्सिल 35 डब्लू.एस.फूडनाशक दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। बुआई पाल (रिज) पर करना चाहिए और चवला या मूंग की फसल साथ में लगाये। रोग रोधी जाति जे.ए.-4 एवं जे.के.एम.-189 को बोना चाहिए।

कटाई एवं गहाई - जब पौधे की पत्तियां खिरने लगे एवं फलियां सूखने पर भूरे रंग की हो जाएं तब फसल को काट लेना चाहिए। खलिहान में 8-10 दिन धूप में सूखाकर ट्रैक्टर या बेलों द्वारा दावन कर गहाई की जाती है।

उपज - उन्नत उत्पादन तकनीकी अपनाकर अरहर की खेती करने से 15-20 किं.टल/हे. उपज असिंचित अवस्था में और 25-30 किं.टल/हे. उपज सिंचित अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं एवं 50-60 किं.टल लकड़ी प्राप्त होती है।

भण्डारण - भण्डारण हेतु नमी का प्रतिशत 8-10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भण्डारण में कीटों से सुरक्षा हेतु एल्यूमीनियम फास्फाइड की 2 गोली प्रति टन प्रयोग करें।

अधिक उत्पादन लेने हेतु आवश्यक बिंदु

- ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई तीन वर्ष में एक बार अवश्य करें।
- बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। पोषक तत्वों की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर ही दें।
- उकठा व बन्धता मोजेक रोगरोधी / सहनशील किस्में बी.एस.एम.आर.-736, 853, 846, आई.सी.पी.एल.-96053, बी.डी.एन.-2010, आई.सी.पी.एल.-43, 44, आई.पी.ए.-204, और आई.पी.ए.-234।

● उकठा रोगरोधी/सहनशील किस्में: वी.एल. अरहर-1, विपुला, जे.के.एम.-189, जी. टी.-101, पूसा 991, आजाद (के 91-25), बी.एस.एम.आर.-736, एम.ए.-6

● हाईब्रिड किस्में: पी.पी.एच.-4, आई.सी.पी.एच.-8, आई.सी.पी.एच.-2740, आई.सी.पी.एच.-2671।

● ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई तीन वर्ष में एक बार अवश्य करें।

● पोषक तत्वों की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर ही दें।

● पौध संरक्षण के लिये एकीकृत पौध संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए।

● खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें।

● तकनीकी जानकारी हेतु अपने जिले/नजदीकी कृषि विज्ञान केन्द्र से संपर्क करें।

● भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा फसल उत्पादन (जुताई, खाद, बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई के साधनों), कृषि यंत्रों, भण्डारण इत्यादि हेतु दी जाने वाली सुविधाओं/अनुदान सहायता/ लाभ की जानकारी हेतु संबंधित राज्य/जिला/विकासखण्ड स्थित कृषि विभाग से संपर्क करें।

अधिक जानकारी हेतु देखें-

एम-किसान पोर्टल- <http://mkisan.gov.in/>

फार्मर पोर्टल- <http://farmer.gov.in/>

किसान कॉल सेन्टर- टोल-फ्री नं - 1800-180-1551

लेखन एवं संपादन

डॉ ए. के. तिवारी

डॉ ए. के. शिवहरे

श्री विपिन कुमार

तकनीकी सहयोग

डॉ. संदीप सिलावट

श्री सतीश द्विवेदी

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

निदेशक

भारत सरकार

दलहन विकास निदेशालय

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
छठी मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004 (म.प्र.)

ई-मेल - dpd.mp@nic.in

फेक्स - 0755-2571678,

दूरभाष - 0755-2550353/ 2572313

वेबसाइट - www.dpd.gov.in



इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

राज्य कार्यालय-मध्यप्रदेश

ब्लाक-2, तृतीय तल, "पर्यावास", अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष: 0755- 2555883, 4036202, 4036217

वेबसाइट : <http://www.iffco.in>, Email: smm_bhopal@iffco.in

मुद्रक : कृषक जगत प्रीटिंग वर्क्स, भोपाल, दूरभाष : 9826255861

अरहर



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
दलहन विकास निदेशालय
छठी मंजिल, विन्ध्याचल भवन भोपाल - 462004 (म.प्र.)

सौजन्य से :



किसानों, कृषि एवं सहकारिता को समर्पित

गौरवमयी स्वर्ण जयंती वर्ष में

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

राज्य कार्यालय-मध्यप्रदेश

ब्लाक-2, तृतीय तल, "पर्यावास", अरेरा हिल्स, भोपाल-462011



स्वस्थ धरत, छैत हत



एक कदम स्वच्छता की ओर



Per Drop, More Crop

अरहर

दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान है। अरहर की दाल में लगभग 20–21 प्रतिशत तक प्रोटीन पाई जाती है, साथ ही इस प्रोटीन का पाच्यमूल्य भी अन्य प्रोटीन से अच्छा होता है। अरहर की दीर्घकालीन प्रजातियाँ मृदा में 200 कि.ग्रा. तक वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में वृद्धि करती है।



फसल स्तर- भारत के विश्व में अरहर के क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत की कुल भागीदारी 79.65 प्रतिशत व उत्पादन में 67.28 प्रतिशत है। उत्पादन के हिसाब से सेन्ट विन्सेंट और ग्रेनेजियन्स प्रथम स्थान पर है। जिनकी उत्पादकता 7926 कि.ग्रा./हे. है। इसके बाद त्रिनिदाद व टोबेगो और मालावी का स्थान क्रमशः आता है। भारत में उत्पादकता 587 कि.ग्रा./हे. है। (FAO STAT-2014)

उन्नतशील प्रजातियाँ

बांझपन रोग प्रतिरोधी किस्में	: बी.आर.जी.-2, टी.जेटी.-501, बी.डी.एन.-711, बी.डी.एन.-708, एन.डी.ए.-2, बी.एस.एम.आर.-853, पूसा-992, बी.एस.एम.आर.-736
शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ	: पूसा 855, पूसा 33, पूसा अगेती, पी.ए.यू.-881, (ए.एल. 1507) पंत, अरहर-291, जाग्रति (आई.सी.पी.एल. 151), आई.सी.पी.एल.-84031 (दुर्गा)
मध्यम समय में पकने वाली प्रजातियाँ	: टाइप 21, जवाहर अरहर 4, आई.सी.पी.एल. 87119 (आशा)
देर से पकने वाली प्रजातियाँ	: बहार, एम.ए.एल.13, पूसा-9 ए शरद (डी.ए.11)
हाईब्रिड प्रजातियाँ	: पी.पी.एच.-4, आई.सी.पी.एच. 8, जी.टी.एच.-1 आई.सी.पी.एच.-2671, आई.सी.पी.एच.-2740
उकटा प्रतिरोधी किस्में	: वी.एल.अरहर-1, बी.डी.एन.-2, बी.डी.एन.-708, विपुला, जे.के.एम.-189, जी. टी.-101, पूसा 991, आजाद (के 91-25), बी.एस.एम.आर.-736, एम.ए.-6

रबी बुवाई के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ – बहार, शरद (डी.ए. 11), पूसा 9, डब्लूबी 20 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन अन्तर्गत शीघ्र, मध्यम व देर से पकने वाली उन्नत प्रजातियों ने विभिन्न स्थानीय/पुरानी प्रजातियों की अपेक्षा क्रमशः 94, 36 एवं 17 प्रतिशत अधिक उपज प्रदान की हैं।

जातियों का चुनाव – बहुफसलीय उत्पादन पद्धति में एवं हल्की ढलान वाली असिंचित भूमि में जल्दी पकने वाली जातियाँ बोनी चाहिए। मध्यम गहरी भूमि में जहाँ पर्याप्त वर्षा होती हो, सिंचित एवं असिंचित दोनों स्थिति में मध्यम अवधि की जातियाँ बोनी चाहिए।

खेत की तैयारी – मिट्टी पलट हल से एक गहरी जुताई के उपरान्त 2–3 जुताई हल अथवा हैरो से करना उचित रहता है। प्रत्येक जुताई के बाद सिंचाई एवं जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था हेतु पाटा लगाना आवश्यक है।

बुआई का समय तथा विधि – शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की बुआई जून के प्रथम पखवाड़े में पलेवा करके करना चाहिए तथा मध्यम व देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई जून से जुलाई के प्रथम पखवाड़े में करना चाहिए।

उर्वरक – मृदा परीक्षण के आधार पर समस्त उर्वरक अन्तिम जुताई के समय हल के पीछे कूड़ में बीज की सतह से 5 से.मी. गहराई व 5 से.मी. साइड में देना सर्वोत्तम रहता है। बुआई के समय 20–25 कि.ग्रा. नत्रजन, 40–50 कि.ग्रा. फास्फोरस, 20–25 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टर कतारों में बीज के नीचे दिया जाना चाहिए।

गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व

गंधक (सल्फर) – काली एवं दोमट मृदाओं में 20 कि.ग्रा. गंधक (154 कि.ग्रा.

राज्य	प्रजातियाँ
आन्ध्रप्रदेश	लक्ष्मी, एल.आर.जी. 41, एल.आर.जी. 38, डब्लू.आर.जी. 27, डब्लू.आर.जी. 53, बहार, एन.डी.ए.1, डब्लू.आर.जी. 65, (एम.आर.जी. 1004)
बिहार	एम.ए. 6, आजाद, डी.ए 11, आई.पी.ए. 203, बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 2
मध्यप्रदेश	जे.के.एम.189, टी.जे.टी.501, जे.के.एम.7, टी.टी. 401, आई.सी.पी.एल. 87119
छत्तीसगढ़	राजीव लोचन, एम.ए. 3, आई.सी.पी.एल. 87119, विपुला, बी.एस.आर. 853
गुजरात	जी.टी.100, जी.टी.101, बानस, बी.डी.एन. 2, बी.एस.एम.आर. 853, ए.जी.टी. 2
हरियाणा	पारस, पूसा 992, उपास 120, ए.एल. 201, मानक, पूसा 855, पी.ए.यू. 8817
कर्नाटक	वांबन 3, सी.ओ.आर.जी. 9701, आई.सी.पी.एल. 84031, बी.आर.जी.2, मारुती (आई.सी.पी. 8863), डब्लू.आर.पी.1, आशा (आई.सी.पी.एल. 87119), टी.एस.3
महाराष्ट्र	बी.डी.एन. 711, बी.एस.एम.आर. 736, ए.के.टी. 8811, पी.के.वी. तारा, विपुला, बी.डी.एन.708, आई.सी.पी.एल. 87119, बी.एस.एम.आर. 175, वैशाली (बी.एस.एम.आर 853)
पंजाब	ए.एल. 201, पी.ए.यू. 881, पूसा 992, उपास 120
उत्तर प्रदेश	बहार, एन.डी.ए.1, एन.डी.ए. 2, अमर, एम.ए. 6, एम.ए.एल. 13, आई.पी.ए. 203, उपास 12011
राजस्थान	उपास 120, पी.ए. 291, पूसा 992, आशा (आई.सी.पी.एल. 87119), वी.एल.ए.1
तमिलनाडू	को. 6, सी.ओ.आर. जी. 9701, वंबन 3, आई.सी.पी.एल.151, वंबन 1 एवं 2
झारखंड	बहार, आशा, एम.ए.3,
उत्तराखंड	वी.एल.ए.1, पी.ए. 291, उपास 120

स्रोत:- सीडनेट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं भा.द.अनु.सं.-भा.कृ.अनु.प.,

जिप्सम/फॉस्फो-जिप्सम या 22 कि.ग्रा. बेन्टोनाइट सल्फर) प्रति हेक्टर की दर से बुवाई के समय प्रत्येक फसल के लिये देना पर्याप्त होगा। कमी ज्ञात होने पर लाल बलुई मृदाओं हेतु 40 कि.ग्रा. गंधक (300 कि.ग्रा. जिप्सम/फॉस्फो-जिप्सम या 44 कि.ग्रा. बेन्टोनाइट सल्फर) प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए।

जिंक – बलुई मृदाओं में उगाई जाने वाली अरहर की फसल में 3 कि.ग्रा. जिंक (15 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट या 9 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट) प्रति हेक्टर की दर से आधार उर्वरक के रूप में प्रयोग करें। खेतों में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार जिंक सल्फेट को आखिरी जुताई पूर्व बुरकाव करने से पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी होती है।

लोहा (आयरन) – हल्के संरचना वाली मृदाओं में अरहर की फसल में बुवाई के 60, 90 व 120 दिन बाद 0.5: फेरस सल्फेट के घोल का पर्णीय छिड़काव करना चाहिए।

बीज शोधन – मृदाजनित रोगों से बचाव के लिए बीजों को 2 ग्राम थाइरम 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम प्रति कि.ग्राम अथवा 3 ग्राम थाइरम प्रति कि.ग्राम की दर से शोधित करके बुआई करें या कार्बोक्सिन (वीटावेक्स) 2 ग्राम + 5 ग्राम ट्रायकोडरमा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। बीज शोधन बीजोपचार से 2–3 दिन पूर्व करें।

बीजोपचार – 10 कि.ग्रा. अरहर के बीज के लिए राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट (100 ग्राम) पर्याप्त होता है। 50 ग्रा. गुड़ या चीनी को 1/2 ली. पानी में घोलकर उबाल लें। घोल के ठंडा होने पर उसमें राइजोबियम कल्चर मिला दें। इस कल्चर में 10 कि.ग्रा. बीज डाल कर अच्छी प्रकार मिला लें ताकि प्रत्येक बीज पर कल्चर का लेप चिपक जायें। उपचारित बीजों को छाया में सुखा कर, दूसरे दिन बोया जा सकता है। **उपचारित बीज को कभी भी धूप में न सुखायें**, व बीज उपचार दोपहर के बाद करें।

दूरी : शीघ्र पकने – पंक्ति से पंक्ति : 45–60 से.मी. पौध से पौध: 10–15 से.मी.

मध्यम व देर से पकने वाली : पंक्ति से पंक्ति : 60–75 से.मी. पौध से पौध : 15–20 से.मी.

बीजदर – जल्दी पकने वाली जातियों का 20–25 किलोग्राम एवं मध्यम पकने वाली जातियों का 15 से 20 कि.ग्रा. बीज/हेक्टर बोना चाहिए। चौफली पद्धति से बोने पर 3–4 किलों बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगती है।

अंतरवर्तीय फसल – अंतरवर्तीय फसल पद्धति से मुख्य फसल की पूर्ण पैदावार एवं अंतरवर्तीय फसल की अतिरिक्त पैदावार प्राप्त होगी। मुख्य फसल में कीड़ों का प्रकोप होने पर या किसी समय में मौसम की प्रतिकूलता होने पर किसी न किसी फसल से सुनिश्चित लाभ होगा। साथ-साथ अंतरवर्तीय फसल पद्धति में कीड़ों और रोगों का प्रकोप नियंत्रित रहता है।

सिंचाई एवं जल निकास – ब्रान्चिंग अवस्था (बुवाई से 30 दिन बाद) पुष्पावस्था (बुवाई से 70 दिन बाद) फली बनते समय (बुवाई से 110 दिन बाद) फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए। अधिक अरहर उत्पादन के लिए खेत में उचित जल निकास का होना प्रथम शर्त है अतः निचले एवं अधो जल निकास की समस्या वाले क्षेत्रों में मेड़ों पर बुआई करना उत्तम रहता है। मेड़ों पर बुवाई करने से अधिक जल भराव की स्थिति में भी अरहर की जड़ों के लिए पर्याप्त वायु संचार होता रहता है।

खरपतवार नियंत्रण – खरपतवारनाशक पेन्डीमिथालिन 0.75–1.00 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व/हेक्टर बोनी के बाद प्रयोग करने से खरपतवार नियंत्रण होता है। खरपतवारनाशक प्रयोग के बाद एक निराई लगभग 30 से 40 दिन की अवस्था पर करना लाभदायक होता है। किन्तु यदि पिछले वर्षों में खेत में खरपतवारों की गम्भीर समस्या रही हो तो अन्तिम जुताई के समय खेत में फ्लूक्लोरेलीन 50 प्रतिशत (बासालीन) की 1 कि.ग्रा. सक्रिय मात्रा को 800–1000 ली. पानी में घोलकर या एलाक्लोर (लासा) 50 प्रतिशत ई.सी. की 2–2.5 कि.ग्रा. (सक्रिय तत्व) कि.ग्रा. मात्रा को बीज अंकुरण से पूर्व छिड़कने से खरपतवारों पर प्रभावी नियन्त्रण पाया जा सकता है।

फसल सुरक्षा - कीट नियन्त्रण

(अ) **फलीमक्खी/फलीछेदक** – यह फली पर छोटा सा गोल छेद बनाती है। इल्ली अपना जीवनकाल फली के भीतर दानों को खाकर पूरा करती है। जिसके कारण दानों का सामान्य विकास रूक जाता है। दानों पर तिरछी सुरंग बन जाती है और दानों का आकार छोटा रह जाता है।

नियंत्रण – किचनलफास, 20 ई.सी. 2 मि.ली या एसीफेट 75 एस.पी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।

(ब) **पत्ती लपेटक** – मादा प्रायः फलियों पर गुच्छों में अंडे देती है। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही फली एवं दानों का रस चूसते हैं, जिससे फली आड़ी-तिरछी हो जाती है एवं दाने सिकुड़ जाते हैं। एक जीवन चक्र लगभग चार सप्ताह में पूरा करते हैं।

नियंत्रण – मोनोकोटोफास 36 एस.एल. 1 मि.ली + डाईक्लोरोवास 76 ई.सी. 0.5 मि.ली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।

(स) **नू माथ** – इस कीट की इल्ली फली पर छोटा सा गोल छेद बनाती है। प्रकोपित दानों के पास ही इसकी विष्टा देखी जा सकती है। कुछ समय बाद प्रकोपित दाने के आसपास लाल रंग की फफूंद आ जाती है। इसकी इल्लियाँ हरी तथा छोटे-छोटे काटों से आच्छादित रहती हैं। इल्लियाँ फलियों पर ही शंखी में परिवर्तित हो जाती हैं। एक जीवन चक्र लगभग चार सप्ताह में पूरा करती हैं।

नियंत्रण –डायमिथाएट 30 ई.सी. या प्रोफेनोफॉस-50 ई.सी. के 1000 मि.ली. मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

कीटों के प्रभावी नियंत्रण हेतु समन्वित संरक्षण प्रणाली अपनाना आवश्यक है

कृषि कार्य द्वारा – गर्मी में गहरी जुताई करें। ● शुद्ध/सतत अरहर न बोयें। ● फसल चक्र अपनायें। ● क्षेत्र में एक समय पर बोनी करना चाहिए। ● रासायनिक खाद की अनुशासित मात्रा ही डालें। ● अरहर में अन्तरवर्तीय फसले जैसे ज्वार, मक्का, सोयाबीन या मूँगफली को लेना चाहिए।

यांत्रिकी विधि द्वारा – ● प्रकाश प्रपंच 5/हेक्ट. की दर से लगाना चाहिए। ● फेरोमेन ट्रेस लगायें। ● पौधों को हिलाकर इल्लियों को गिरायें एवं उनको इकट्ठा करके नष्ट करें।

जैविक नियंत्रण द्वारा . ● एन.पी.व्ही. 500 एल.ई./हे. + यू.वी. रिटारडेंट 0.1 प्रतिशत